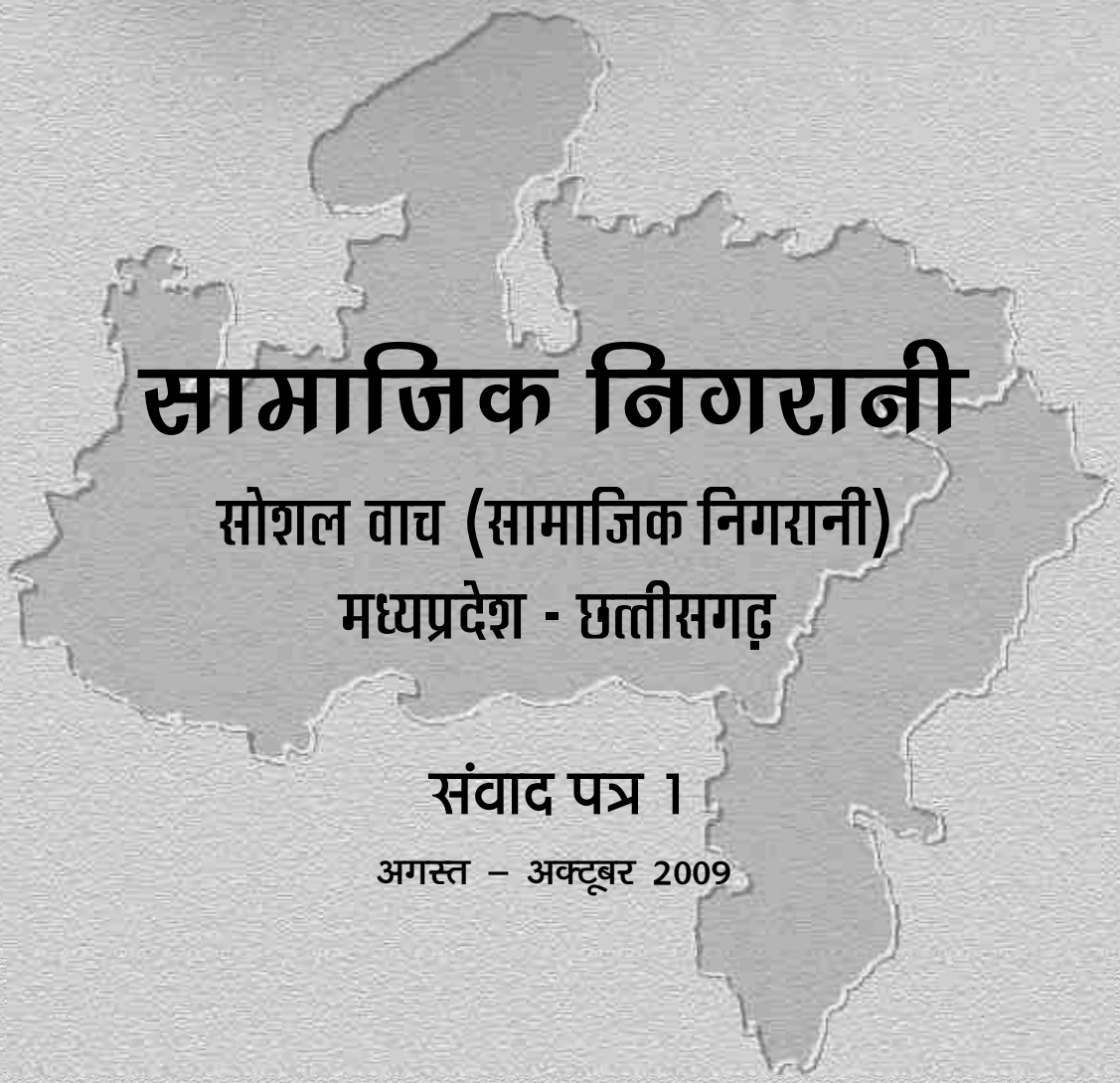

सामाजिक निगरानी

सोशल वाच (सामाजिक निगरानी)

मध्यप्रदेश - छत्तीसगढ़

संवाद पत्र 1

अगस्त – अक्टूबर 2009

विषय वस्तु

1.	संवाद की शुरुआत	1
2.	सोशल वाच – विचार की पृष्ठभूमि	2
3.	सोशल वाच इन्डिया	4
4.	विश्व सोशल वाच रिपोर्ट में भारत	7
5.	राज्यों में सोशल वाच	8
6.	प्रदेश में निगरानी के कुछ और प्रतिवेदन	9
7.	मध्यप्रदेश में नरेगा	10
8.	छत्तीसगढ़ में नरेगा	17
9.	आप भी इस सोशल वाच के हिस्से हैं	20

सम्पादक : दविन्दर कौर उप्पल
समन्वयक, सोशल वाच – मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़
ई–मेल : nigraneempc@gmail.com

सलाहकार : डॉ. योगेश कुमार
समर्थन सेन्टर फॉर डेवलेपमेंट सपोर्ट
36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भटटी, भोपाल – 462016

प्रकाशन : सोशल वाच इन्डिया की ओर से सोशल वाच मध्यप्रदेश द्वारा सीमित वितरण हेतु प्रकाशित

मुद्रण : एमएसपी ऑफसेट, भोपाल

सामाजिक निगरानी मंच

(यदि आप व्यक्तिगत स्तर पर शोधकर्ता या संस्था के रूप में
सोशल वाच से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया यह प्रपत्र भर कर भेजें)

1. नाम एवं परिचय :

2. संवाद हेतु पता :

3. कार्य की पृष्ठभूमि :
   (संस्था अथवा व्यक्तिगत)

4. समाजिक सरोकारों से जुड़ी
   वर्तमान गतिविधियों
   का संक्षिप्त विवरण :

5. आप अपने साथ किस तरह के
   साथियों को जोड़ सकते हैं? :

6. आपका समूह निम्नलिखित में
   से किस सामाजिक निगरानी को
   प्राथमिकता देना चाहेगा?
   - राज्य शासन की प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन
   - स्थानीय अभिशासन (नगर, ग्राम)
   - न्यायपालिका
   - अन्य कोई

7. अन्य कुछ

संवाद की शुरूआत

आपके हाथ में जब यह संवादपत्र पहुंचेगा तो स्वाभाविक ही कुछ प्रश्न उठेंगे आपके मन में–

सोशल वाच क्या और क्यों .....?

'सोशल वाच मध्यप्रदेश' जिसके लिए हम 'सामाजिक निगरानी' अभिव्यक्ति का भी उपयोग करेंगे, सोशल वाच – इन्डिया का सहभागी है। इस संवाद पत्र के माध्यम से सोशल वाच मध्यप्रदेश आपको अपना सहभागी बनाकर सामाजिक निगरानी को एक अभियान के रूप में सक्रिय करना चाहता है।

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में सोशल वाच की संकेतात्मक गतिविधियां तो एक वर्ष पहले आरंभ हो चुकी थीं पर निरन्तरता नहीं आ पा रही थी। जून 2009 में सोशल वाच की राष्ट्रीय रिपोर्ट, भोपाल और रायपुर में जारी करते हुए यह निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में सोशल वाच को गतिशील बनाया जायेगा।

सामाजिक निगरानी क्यों और किसकी?

लोकतंत्र के तीनों स्तम्भ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का यह संवैधानिक दायित्व माना जाता है कि उनकी नीतियां, निर्णय और कार्य लोगों के हित में हों। इसलिए यह जरूरी है कि लोक समाज (सिविल सोसायटी) की संस्थाएं यह निगरानी करें और देखें कि ऐसा हो रहा है या नहीं। यदि आशंका हो तो व्यवस्थित जानकारी एकत्र कर, उसका विश्लेषण कर उसे लोक परिक्षेत्र में ले जायें और उस पर चर्चा कर लोगों को उससे अवगत करायें। जन प्रतिनिधियों, नौकरशाहों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के सामने अपनी आशंका रखें और लोगों के हित में निर्णय और पुनर्निर्णय लेने के लिए पैरवी और संवाद करें।

यदि लोक समाजों के संगठन सामाजिक निगरानी नहीं करेंगे; यदि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका लोगों के प्रति अपनी संवदेनशीलता, पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रमाण नहीं देगी तो हिंसक तरीके अपनाकर परिवर्तन के कार्यक्रम बनाने वाले लोगों के हाथ मजबूत हो जायेंगे। इसलिए जरूरी है कि 'सोशल वाच' वैज्ञानिक पद्धति से नीतियों, कानूनों, कार्यों और अभिशासन पर जानकारियों का विश्लेषण कर सरोकारी लोगों तक लेकर जायें।

निगरानी की पद्धति

- सोशल वाच किसी भी कार्यप्रणाली में सीधे हस्ताक्षेप नहीं करता है अपितु प्रतिवेदनों, संवादपत्रों, संगोष्ठियों आदि उपकरणों का उपयोग कर तथ्यों को लोक परिक्षेत्र में लेकर आता है जिससे नागरिक, जन प्रतिनिधि, स्वैच्छिक संगठन, लेखक, विचारक, शैक्षणिक संस्थाएं मीडिया तथा लोक समाजों (सिविल सोसायटी) के अन्य साथी इस पर बातचीत करें और स्थितियों को सुधारने के लिए शासन तथा प्रशासन से पैरवी करें।
- 'सोशल वाच' इस बात की निगरानी करता है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और स्थानीय अभिशासन

में लिये गये नीतिगत निर्णय और उनका कियान्वन समाज के वंचित वर्गों के पक्ष में है या नहीं; ये संस्थाऐं नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा रही हैं।

- सोशल वाच अपनी निगरानी एक प्रलाप के रूप में नहीं करता अपितु विभिन्न स्रोतों से तथ्यों को एकत्र कर उसका विश्लेषण कर कुछ प्रश्न उठाता है।

'सोशल वाच' विचार की पृष्ठभूमि

डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगेन, अखबारों की सुर्खियों और नेताओं के संवादों में एक चर्चित शहर! यह 14 वर्ष पहले भी इसी तरह चर्चित शहर बन गया था जब 1995 में (6 से 12 मार्च) संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहां 'सामाजिक विकास' पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें 117 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने हिस्सेदारी की थी। **भारत में आर्थिक उदारवाद की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कोपेन हेगेन से लौटकर 'विकास के मानवीय चेहेरे की जरूरत' मुहावरे का उपयोग किया था।**

सामाजिक विकास पर हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों के अलावा 180 देशों के लोक समाजों (सिविल सोसायटी) से आये 20 हजार प्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इसमें अनेक स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि थे। यह सरकारों और लोक समाजों के बीच संबंधों की एक नई शुरुआत थी। लोक समाजों ने यह निर्णय लिया कि वे अपने-अपने देशों में जाकर सरकारों द्वारा विकास के लिए बनाई गई नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों के क्रियान्वन की निगरानी करेंगे और उसकी कमियों पर प्रतिवेदन तैयार कर उसे चर्चा के लिए लोक परिक्षेत्र में लेकर आयेंगे।

सामाजिक विकास सम्मेलन

'सामाजिक विकास' पर शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों यथा पर्यावरण, मानव अधिकार, जनसंख्या, जेन्डर समानता की श्रृंखला के मध्य पड़ा था।

90 के दशक में संयुक्त राष्ट्र अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा था। बर्लिन की दीवार गिर चुकी थी; शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनैतिक निर्देशन के लिए सुरक्षा परिषद की महत्ता कम हो चुकी थी; दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिक महत्वपूर्ण हो गये थे। 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) ने पहली **'मानव विकास' रिपोर्ट** प्रकाशित की, जिसके प्रमुख सम्पादक पाकिस्तान के महबूद-उल-हक थे। इन स्थितियों ने संयुक्त राष्ट्र को अपनी नई भूमिका खोजने का अवसर दिया।

चिले में पिनोचेट के तानाशाही शासन के पतन के बाद, निष्कासन से वापस गये विचारक जुआन सोमाबिया, संयुक्त राष्ट्र में

चिले के एम्बेसडर बने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव बुतरस घाली के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने 'सामाजिक विकास' पर शिखर सम्मेलन के लिए विभिन्न देशों से चर्चा की।

इसी बीच क्लिंटन अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके थे और संयुक्त राष्ट्र के प्रति अमेरिका की अवहेलना और उपेक्षा समाप्त होने की आशा थी। जुआन सोमाबिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ को दुबारा सामाजिक और राजनैतिक विकास के सन्दर्भ में ऊचें स्तर पर रखने की जरूरत और अवसर को पहचाना। और **'सामाजिक विकास'** पर शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। एक नई दृष्टि ने प्रभुत्व प्रतिमानों को चुनौती दी। **बुतरस घाली ने 'सामाजिक विकास' के विचार को देशों के सामाजिक मंत्रालयों से आगे बताते हुए इसे आर्थिक विकास, मानव अधिकार, शान्ति और सुरक्षा के विचारों के मध्य खड़ा किया।**

सोशल वाच का जन्म

पहली बार 117 देशों की अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी ने कोपेनहेगेन में सामूहिक रूप से गरीबी को लेकर चिन्ता और प्रतिबद्धता दिखाई और इसे दूर करने के लिए कार्यक्रम बनाने के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये। प्रश्न उठा कि इस बात की निगरानी कौन करेगा कि सरकारें इस दिशा में काम कर रही हैं या नहीं। तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने गैर सरकारी संगठनों से इस जिम्मेदारी को उठाने का आह्वान किया। यहीं पर संयुक्त राष्ट्र और गैर सरकारी संगठनों के बीच एक रिश्ते ने भी जन्म लिया। सोशल वाच की अवधारणा इसी प्रक्रिया से उपजी।

सामाजिक विकास सम्मेलन में आये डेनमार्क के स्वैच्छिक संगठन 'नोविब' के निदेशक मैक्स वान डेन बर्ग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर शिखर सम्मेलन में लिए गए **निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए 'सोशल वाच' शब्द का इस्तेमाल किया।**

गैर सरकारी संगठनों ने अपने–अपने देशों में सहयोगी मंच बनाकर सरकार की नीतियों, संसदीय कार्यवाहियों, और विकास कार्यक्रमों की निगरानी करने के साथ ही सरकारों को प्रभावित करने का निर्णय लिया।

इस तरह 'सोशल वाच' कोपेन हेगेन में लोक समाजों का समारोह नहीं था अपितु 'सामाजिक विकास' पर हुए अन्तर्राष्ट्रीय समारोह का एक फालो अप था।

सोशल वॉच का उद्देश्य एक ओर सरकार की नीतियों को प्रभावित करना है तो दूसरी ओर लोक समाजों को सशक्त बनाना भी है जिससे वे नीति निर्माताओं से गरीबों के पक्ष में नीतियां बनाने के लिए संवाद कर सकें, लोक समाजों की महत्ता बढ़े और देश के लोकतांत्रिक परिक्षेत्र का विस्तार हो।

'लोक समाज' सरकारों, लाभ कमाने वाली संस्थाओं और व्यक्तिगत परिवारों के बीच का लोक परिक्षेत्र है।

व्यवहार में सोशल वाच एक सरल अभिव्यक्ति भी है और जटिल भी

सोशल वाच इन्डिया

'सोशल वाच इन्डिया' लगभग एक दशक से देश में गुणवत्ता पूर्ण अभिशासन के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, हस्ताक्षेप और आग्रह निर्माण की प्रक्रिया में लगा हुआ है। नागरिकों के नजरिए से अब तक इसकी पांच वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी हैं। नवीनतम रिपोर्ट 'गवर्नेस और डेवलमेंट' पर है। पूर्व की रिपोर्ट में से 2006–2007 की रिपोर्ट देश के प्रसिद्ध प्रकाशकों क्रमशः 'पियर्सन' एवं 'सेज' से प्रकाशित हो चुकी हैं।

देश के 14 राज्यों में 'सोशल वाच' के राज्य स्तरीय गठबंधन बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल अपनी–अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर चुके हैं।

सोशल वाच – इन्डिया का संयुक्त गठन विशेष तौर पर अभिशासन से जुड़ी संस्थाओं की नागरिकों द्वारा निगरानी के लिए हुआ। उददेश्य था कि अभिशासन के सारे स्तम्भों को सामाजिक विकास के परिक्षेत्र में प्रभावी होने के लिए अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जाये।

विजय तेंदुलकर द्वारा प्रथम रिपोर्ट राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को भेंट

2007-08 की रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेंट

सोशल वाच इन्डिया अन्तराष्ट्रीय सोशल वाच प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। यह राज्यों द्वारा आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास के लक्ष्यों को पाने की पैरवी करता है।

2007-08 की रिपोर्ट पर योजना आयोग के अध्यक्ष मनटोक सिंह अहलूवालिया से चर्चा करते हुए सोशल वाच के साथी

सोशल वाच, विकास संगठनों और नागरिकों की ओर से किया जाने वाला एक संयुक्त दायित्व है जिसमें लोगों को भरोसा हो कि सामाजिक निगरानी की जा रही है। यह लोकतंत्र को अर्थपूर्ण और सहभागी बनाने के लि किए जा रहे अनेक प्रयासों में से एक है।

सोशल वाच इन्डिया, प्रक्रिया की नवाचारी कोशिस इस बात में है कि यह अभिशासन की प्रमुख संस्थाओं यथा कार्यपालिका (नीति और क्रियान्वन के सन्दर्भ में), न्यायपालिका, विधायिका (संसद) एवं स्थानीय स्वशासन की इकाइयों (ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायत) पर सालाना रिपोर्ट तैयार करे।

रिपोर्ट में आर्थिक एवं सामाजिक मूल्यों यथा अधिकार, विकास, स्वतंत्रता तथा सुरक्षा के मापदण्ड पर लोकतंत्र की आधारभूत संस्थाओं को जांच कर उन्हें लोगों के सामने रखे।

सोशल वाच इन्डिया 2008-09 रिपोर्ट की झलकियां

1. संसद

- 2007 में लोकसभा और राज्य सभा में मिलाकर जनता से जुड़े मंत्रालयों से पूछे

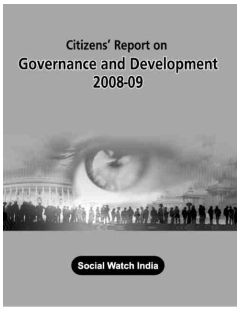

गये प्रश्नों में सबसे कम .43 प्रतिशत पंचायती राज से, जनजाति विभाग से .76 प्रतिशत, सामाजिक न्याय मंत्रालय से 1.30 प्रतिशत और महिला बाल विकास मंत्रालय से 1.87 प्रतिशत प्रश्न पूछे गये।

(पृष्ठ कमांक 52)

- 14 वी लोकसभा में कई महत्वपूर्ण बिल बिना बहस के पास हो गये। 2007 में पास 34 बिलों में से 15 बिलों पर लोकसभा में कुल 45 मिनट का समय लगा।

(पृष्ठ कमांक 38)

विशिष्ट सांसद और संसद में भागीदारी

नाम	लो.स. / रा.स.	प्रति सत्र औसत उपस्थिति
नवजीत सिंह सिद्धू	लो.स.	6
गोविन्द अरूण	लो.स.	0
धर्मेन्द्र	लो.स.	1.5
विनोद खन्ना	लो.स.	5.5
जया प्रदा	लो.स.	6.5
डॉ. विजय मलैया	रा.स.	7
दारा सिंह	रा.स.	14
राहुल बजाज	रा.स.	17
जया बच्चन	रा.स.	9.8
हेमा मालिनी	रा.स.	10

(पृष्ठ क्रमांक 42)

समितियों में भागीदारी

नाम	समिति के सदस्य	उपस्थिति
गोविन्द अरूण	खद्यान, उपभोक्ता नागरिक आपूर्ति	0
धर्मेन्द्र	कृषि	0
विनोद खन्ना	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0
जया प्रदा	महिला सशक्तिकरण, आई.टी.	0 0
डॉ. विजय मलैया	उद्योग	0
दारा सिंह	आई टी	2
जया बच्चन	विदेश विभाग	0
हेमा मालिनी	महिला सशक्तिकरण, उद्योग	1 0

(पृष्ठ क्रमांक 42)

- 1951 में संसद में प्रति मिनट का खर्च 100 रूपये का था। 2008–09 में यह 26 हजार प्रति मिनट हो गया है। इससे स्पष्ट होता है कि संसद में स्थगन, शोर–शराबा और बहिष्कार से न केवल संसद का बहुमूल्य समय नष्ट होता है अपितु लोगों के धन का अपव्यय भी होता है।

(पृष्ठ कमांक 35)

- राजनैतिक पृष्ठभूमि के बिना लोकसभा और राज्य सभा में चुनकर और मनोनीत होकर औद्योगिक घराने से प्रतिनिधि आ रहे हैं। संभावना है कि वे देश की वित्तीय नीतियों को प्रभावित करेंगे।

राज्य सभा के सांसद विजय मलैया, उद्योग मंत्रालय की स्टैन्डिग कमेटी के सदस्य होने के साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय की परामर्श समिति के स्थाई विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं। जबकि यह सर्व विदित है कि उनकी निजी विमानन सेवा है। ऐसे में हितों का टकराव संभव है।

(पृष्ठ क्रमांक 43)

2. न्यायपालिका

निचली अदालतों में प्रकरण निपटान प्रक्रिया से निराशा

देश में प्रति दस लाख लोगों पर 14 न्यायधीश हैं। न्याय प्रक्रिया तेज करने के लिए कम से कम 50 न्यायधीश होने चाहिए।

स्रोत : लोकसभा के प्रश्न कमांक 4744 का 25 अप्रैल 2008 को दिया गया उत्तर।

एक निचली अदालत में 1957 में दाखिल सम्पति के एक मामले का निपटारा आधी शताब्दी के बाद गत वर्ष सर्वोच्च न्यायलय में हुआ। सर्वोच न्यायलय ने इस पर अत्यन्त क्षोभ से कहा –

''हमारी अदालतों में प्रकरणों पर होने वाली देरी पर हम अपना क्षोभ व्यक्त करते हैं। वर्तमान मामला इसका एक सटीक उदाहरण है।... वर्तमान मामला हमें चार्ल्स डिकेन्स के उपन्यास 'ब्लैक हाउस' के जार्नडिस बनाम जार्नडिस मामले की याद दिलाता है जो कई दशकों तक चला और जिसमें कई वकील, वादी–प्रतिवादी खप गए। .... भारत के लोग इस तरह की स्थितियों से निराश हो चुके हैं, और इस तरह की देरी से न्याय प्रक्रिया में अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। यदि संबंधित अधिकृत लोग यह चाहते हैं कि लोगों का न्याय प्रक्रिया में विश्वास बना रहे, तो हम इस पर उनसे तात्कालिक आवश्यक निर्णय लेने का आग्रह करते हैं, जिससे प्रकरणों का शीघ्र निपटारा हो सके और लोगों का न्याय प्रक्रिया में विश्वास बना रहे।

(पृष्ठ क्रमांक 127)

7 अगस्त 2007 तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों के 94 स्थान रिक्त थे।

3. स्थानीय स्वशासन

निगरानी ग्रामसभा तक

छत्तीसगढ़ में कोकपुर ग्राम पंचायत (डोंगढ़गांव से 14 कि.मी.) 16 स्वयं सहायता समूहों में से एक समूह 'आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूह' है। इसमें 8 सदस्य गरीबी रेखा के नीचे हैं। इन्होंने आंगनबाड़ी में मध्यान्ह भोजन देने का कार्य लिया। निगरानी समिति ने पाया कि आंगनबाड़ी में सूखी खाद्य सामग्री की आपूर्ति की गई और वह भी कम मात्रा में। इस मसले को अगस्त 2007 में आयोजित हुई ग्राम सभा में लाया गया। इस पर ग्राम सभा में चर्चा हुई और 'आदिवासी महिला स्वंय सहायता समूह' को अपनी कार्यप्रणाली सुधारने के निर्देश दिए गये।

(पृष्ठ कमांक 146)

शहरी अभिशासन

सीमाएं और अनुभव जन्य मुददे

...जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि अपवादों को छोड़कर नियोजन के लिए, लोगों से न्यूनतम परामर्श किया गया। कई शहरों में चुने हुए प्रतिनिधियों से भी बात नहीं की गई।

यद्यपि परामर्श प्रक्रिया को दबाना एक खुली गोपनीयता है परन्तु इसे सरोकारी माने जाने वाले प्रतिनिधियों (शहरी निकाय, चुने हुए प्रतिनिधि, समीक्षा समितियां और मंत्रालय) के सामने सिद्ध करना मुश्किल है क्योंकि वे सार्वजनिक तौर पर इसे नहीं स्वीकार करेंगे। इस मामले में लोक समाज की संस्थाओं ने भी सही समय पर अपनी आवाजें नहीं उठाई।

(पृष्ठ क्रमांक 173)

4. नीतियां

सेज क्यों.... ?

सेज के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण कर निजी हाथों में देने की नीति का निरन्तर विरोध हो रहा है। इससे जमीन पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आधारित समुदाय जमीन और जीविका दोनों से विस्थापित हो रहा है। इसमें जमींन के मालिक, बटाईदार और खेत मजदूर शामिल हैं। इसमें विस्थापन से केवल पहली श्रेणी को ही पूरा मुआवजा पाने का अधिकार है।

सरकारों के अनुसार किसानों को मुआवजा 'बाजार मूल्य'से अधिक दिया जाता है। परन्तु 'बाजार मूल्य' का आधार न ही स्पष्ट है और न ही पारदर्शी।

ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन का बाजार अनिश्चित है और अधिग्रहित की गई जमीन का एक 'बाजार मूल्य' तय करना मुश्किल है। यह पाया गया है कि किसी क्षेत्र में सेज की घोषणा मात्र से वहां आस-पास की जमीनों की कीमतें आसमान को छूने लगती हैं।

(पृष्ठ क्रमांक 88)

विश्व सोशल वाच रिपोर्ट 2009 में भारत

दुनिया के 61 देशों में प्रकाशित सोशल वाच प्रतिवेदन यह दिखाते हैं कि वर्तमान पर्यावरणीय और आर्थिक संकट से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि सरकारें लोगों पर निवेश करें।

(सोशल वाच 2009 विश्व रिपोर्ट के मुख पृष्ठ से)

विश्व सोशल वाच रिपोर्ट 2009 के पृष्ठ क्रमांक 102-03 में सोशल वाच इन्डिया के प्रतिवेदन के सार **'ब्रेक्स इन द रोड एण्ड मिस्ड माइलस्टोन'** शीर्षक से दिया हुआ है। दो पृष्ठीय इस रिपोर्ट में मन्दी के कारण प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी दी गई हैं।

सरकारी ओकड़ों के अनुसार अगस्त 2008 से जनवरी 2009 तक अनेक सरकारी नियमित क्षेत्रों में एक लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो गये हैं।

अक्टूबर से दिसम्बर 2008 तक विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 5 लाख कामगारों को रोजगार से वंचित होना पड़ा। इसने सामाजिक सुरक्षा को एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि **देश की लगभग पौने पांच करोड़ की कामकाजी जनसंख्या में से सवा चार करोड़ लोग असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 38 प्रतिशत महिलाएं हैं।**

राज्यों में सोशल वाच

रिपोर्ट परिचय

- **पश्चिम बंगाल सोशल वाच** ने अपनी 2009 की रिपोर्ट बंगाल में विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण और जन आन्दोलन पर केन्द्रित की है। इसमें सिंगूर, नन्दीग्राम, दंकुनी और महिषादल की केस स्टडी ली गई है।

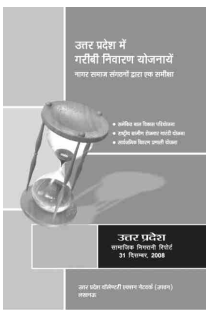

- **उत्तरप्रदेश सोशल वाच** की रिपोर्ट उत्तरप्रदेश के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर है। इसमें समेकित बाल विकास योजना, नरेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की गई है।

- **आन्ध्र प्रदेश की सोशल वाच** की प्रथम रिपोर्ट समता के सन्दर्भ में प्राथमिक और उच्च शिक्षा, भूख, खाद्य सुरक्षा और पीने के पानी की उपलब्धता पर थी। 2007 की रिपोर्ट दलित दृष्टि से भूमि अधिग्रहण और विकास पर आधारित है।

राज्यों में सोशल वाच

1. **मध्यप्रदेश –** सोशल वाच समर्थन एवं मध्यप्रदेश वालेन्टरी एक्शन नेटवर्क, भोपाल
2. **उड़िसा –** सेन्टर फॉर यूथ एण्ड सोशल डेवलपमेंट, भुवनेश्वर
3. **महाराष्ट्र –** यूथ फॉर वालेन्टरी एक्शन (युवा) मुम्बई, विकास सहयोग प्रतिष्ठान, मुम्बई
4. **कर्नाटक –** रिज्युविनेट इन्डिया मूवमेंट (रिम) बंगलोर, बंगलोर कम्युनीटी डेवलपमेंट फान्डेशन (सीडीएफ)
5. **तमिलनाडु –** गांधी ग्राम रूरल युनिवर्सिटी–डिंडुगुल, पिपुल फोरम फॉर सोशल डेवलपमेंट (टी.एन.पी.एफ.एस.डी.) – चेन्नई
6. **आन्ध्रप्रदेश –** सेन्टर फॉर वर्ल्ड सोलीडेरेटी हैदराबाद, दलित बहुजन श्रमिक यूनियन, हैदराबाद
7. **उत्तरप्रदेश –** उत्तर प्रदेश वालन्टेरी एक्शन नेटवर्क (उपवन) लखनऊ
8. **बिहार –** विद्यासागर सामाजिक सुरक्षा सेवा एवं शोध संस्थान, एशिएन डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पटना
9. **छत्तीसगढ़ –** समर्थन, मायाराम सुरजन फान्डेशन रायपुर, ग्रामीण युवा अभिकरण
10. **राजस्थान –** सेन्टर फार कम्युनिटी इकौनौमिक्स एण्ड डेवलेपमेंट कन्सल्टेशन सोसायटी, इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज; प्रथम
11. **पश्चिम बंगाल –** इन्स्टीट्यूट फॉर मोटीवेटिंग सेल्फ इम्पलायमेंट; फोरम आफ वालन्टेरी आरगेनाइजेशन, कोलकैता
12. **केरल –** केरल सोशल वाच
13. **झारखंड –** जीन कैम्पेन, अग्रगति,

आदिवासी संगमम, स्वराज फान्डेशन, एस. पी.ए.आर., होप, सफदर

14. हिमाचल प्रदेश – वालेन्टरी एक्शन ग्रुप; पिपुल्स कैम्पेन फार सोशियो – इकौनौमिक इक्वीटी इन हिमालय

प्रदेश में निगरानी के कुछ और प्रतिवेदन

1. 'मध्यप्रदेश – द स्टेट ऑफ चिल्ड्रन 2009' शीर्षक से **'चाइल्ड राइट आबसरवेटरी'**, ने मध्यप्रदेश में बच्चों की स्थिति पर 136 पृष्ठीय रिपोर्ट प्रकाशित की है। पठन सामग्री, ग्राफ और तालिकाओं के द्वारा, शिक्षा, स्वास्थ एवं पोषण, सुरक्षा, बाल बचाव पर अध्यायों के अलावा मध्यप्रदेश सरकार की नीतियों पर चर्चा है।

सम्पर्क पता :
चाइल्ड राइट आबसरवेटरी, मध्यप्रदेश,
ई–1/67 अरेरा कालोनी, भोपाल –16,
E-mail : cromp.in@gmail.com
वैब साइट : www.crompline.org
फोन : 0755–2460810

2. ''राइट टू इन्फरमेशन एक्ट इन मध्यप्रदेश'– स्टेट्स रिपोर्ट 2007 : समर्थन, भोपाल द्वारा किए गये अध्ययन पर आधारित 80 पृष्ठों के इस प्रतिवेदन में लोगों को सूचनाएं न देने के कारणों और अवरोधों की पहचान की गई है। सूचनाएं मांगने से आए परिवर्तन और प्रभाव पर उठाई गई सकारात्मक पहल को उल्लेखित किया गया है। अध्ययन में लोगों में सूचना के अधिकार को लेकर जागरूकता (उसके विभिन्न चरणों – पहली अपील, दूसरी अपील....) के स्तर को आंकड़ों के माध्यम से दिया गया है।

सम्पर्क पता :
समर्थन, सेन्टर फॉर डेवलमेंट सपोर्ट,
36 ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल–462016
फैक्स : 0755–2468663,
ई–मेल : info@smarthan.org
वेब साइट : www.smarthan.org,
फोन : 0755–2467625 /
मो. : 09893563713

वीडियो रिपोर्ट

हमारा पैसा, हमारी निगरानी (14 मिनट)

सिहोर जिले के 5 गांवों में समर्थन के सहयोग किये गये नरेगा के सामाजिक अंकेक्षण की वीडियो रिकार्डिगं के आधार पर दो लघु वीडियो रिपोर्ट तैयार की गई हैं। **''हमारा पैसा, हमारी निगरानी''** शीर्षक से 14 मिनट की रिपोर्ट है जिसमें सामाजिक अंकेक्षण की प्रकिया दी गई है। इसमें कमेंट्री हिन्दी में है।

'नरेगा की निगरानी' / 'वायसलैस क्वेशचनस्'

दूसरी रिपोर्ट 6 मिनट की है। हिन्दी कमेंट्री के साथ वीडियो रिपोर्ट का शीर्षक 'नरेगा की निगरानी' है और अंग्रेजी कमेंट्री और सब टाइटिल के साथ रिपोर्ट का शीर्षक 'वायसलैस क्वेशचनस्' है। वीडियो रिपोर्ट में सामाजिक अंकेक्षण में उठे मुददे, प्रश्न और आपत्तियां दर्ज हैं।

सम्पर्क पता :
समर्थन, सेन्टर फॉर डेवलमेंट सपोर्ट

मध्यप्रदेश में नरेगा

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारान्टी अधिनियम / योजना और अब महात्मा गांधी के नाम के साथ, पढ़े-लिखे और न पढ़े - लिखे लोगों में स्वीकृत सहज अभिव्यक्ति 'नरेगा' के नाम से पुकारा जाता है। गरीबी से मोर्चा लेने वाले दुनिया के इस सबसे बड़े कार्यक्रम के कियान्वन के रास्ते में कई तरह की आशंकाओं का खतरा है। सभी आशंकाओं का एक सहज नाम है 'भ्रष्टाचार'। पर सारे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में यह पहला कार्यक्रम है जिसमें लोगों द्वारा निगरानी और अंकेक्षण का प्रावधान है। यदि निगरानी को पैना किया जाए तो 'भ्रष्टाचार' पनीला हो सकता है।

मीडिया ने की नरेगा की निगरानी

1. **Wages Elusive Under Job Plan**

   बुन्देलखण्ड के 7 जिलों के 82 लाख लोगों में से 75 प्रतिशत कृषि पर निर्भर हैं। और जब बरसात न हो उनका भरोसा नरेगा है। और जब काम होता है तो भुगतान नहीं होता।

   - हिन्दुस्तान टाइम्स, भोपाल , 5 अगस्त, 2009

2. **Protest over delay in NREGS**

   बड़वानी जिले में 7500 मजदूरों ने मध्यप्रदेश सरकार से समय पर नरेगा के काम का भुगतान न किये जाने पर क्षतिपूर्ति की मांग की है।

   - द हिन्दु, 11 अगस्त, 2009

3. **नरेगा के पैसों से कहीं प्रचार सामग्री छप रही है तो कहीं औजार खरीदे जा रहे हैं।**

   "भिंड जिले की अटेर तहसील में 87 में से 72 कार्यो में मजदूरों के बजाय मशीनों से काम कराया गया ... योजना की राशि से आनन-फानन में दरियां खरीद लीं गई।"

   - **नीमच** जिले में योजना राशी से प्रचार सामग्री छपवा ली गई।
   - **बैतूल** जिले में पंचायतों के अधिकार पर अतिक्रमण कर जिला पंचायत ने औजार खरीदे।
   - **रतलाम** जिले में डम्पर खरीदे गये।

   - दैनिक भास्कर, भोपाल, 18 अगस्त, 2009

4. **Irregularities alleged in NIREGA implement**

   ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत 17 संस्थाओं द्वारा मध्यप्रदेश के 22 जिलों के 112 गांवों में 2765 ग्रामीणों के किये सर्वेक्षण में पाया गया कि केवल 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं के ही बैंक में खाते खुले हैं।

   - हिन्दुस्तान टाइम्स, भोपाल, 19 अगस्त, 2009

5. **मुसीबत बनी पारदर्शिता ..... 'भात खाओ को पैसा नही है साहब'**

   '... इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि पहले मजदूरों को महिने, डेढ़ महिने में होने वाला भुगतान अब छह-छह माह तक नहीं मिल पा रहा है ...'

   '.... दो महिने बाद भी जिला मुख्यालय बालाघाट से चैक क्लीयर होकर नही आये हैं...स्थिति यह आ गई है कि डाकघरों के समाने दो-चार सौ मजदूर दिन भर डेरा डाले रहते हैं। थक हार कर मजदूर अब नक्सलियों की शरण में जाने का मन बना रहे हैं। ...'

   - पत्रिका, भोपाल 22 अगस्त, 2009

6. नरेगा में इन्जीनियर बन रहे हैं निशाना

''अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाकों में ... जो संविदा उपयंत्री काम कर रहे हैं उन्हें जनपद के सीईओ अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए निशाना बना रहे हैं ... सूत्रों के मुताबिक बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित इलाके बैहर में ग्यारह करोड़ रूपये का हिसाब–किताब नहीं मिल रहा है ...''

– पत्रिका, भोपाल 27 अगस्त, 2009

7. शिक्षितों का अंगूठा

स्टाप डैम पुलिया के निर्माण में **ग्वालियर** में छात्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के नाम दर्ज हैं और हाई स्कूल तक शिक्षित होने के बाद भी अंगूठा लगाया गया है .....।

– पत्रिका, 28 अगस्त 2009

8. मृतकों से कराई मजदूरी

..... मजदूरों में पूर्व सरपंच भी

टीकमगढ़। ... जतारा जनपद पंचायत के ग्राम मस्तपुर में ..... स्टाम डैम निर्माण में 2005 में मृत रामसिंह लोधी, सावित्री बाई और नीतेश से भी काम करवाया गया है।

... शिकायतकर्ता जगदीश लोधी और ग्रामीणों का आरोप है कि स्टाम डैम निर्माण में जिन मजदूरों ने कार्य किया था उन्हें मजदूरी नहीं दी गई, बल्कि गांव की ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रीना खेर, पूर्व सरपंच मनोज, बी. फार्मा का छात्र अनिल झा के नाम मजदूरों की सूची में दर्शाए गये हैं। इस तरह लगभग 125 फर्जी नाम मस्टरों में दर्ज हैं।

– पत्रिका, 28 अगस्त 2009

9. Where NREGA is a failure

In Bundelkhand, M.P., it has created neither jobs, nor assesst

छतरपुर / टीकमगढ़। '..... रोजगार गारान्टी में क्यों काम करें'' **बकशबाहा** विकास खण्ड के मझोरा गांव के किसान बूथा अहिरवार पूछते हैं। ''हमें घूस देनी पड़ती है, अपमान सहना पड़ता है, फिर भी समय पर भुगतान नहीं होता। प्राइवेट में मजदूरी कम है, पर काम के बाद शाम को मजदूरी तो मिल जाती है।'

राज्य की कपिल धारा योजना को नरेगा के अन्तर्गत लोगों पर थोपने से समस्या बढ़ गई है। अनुपयोगी माने जाने वाले कुंओं के लिए कोई भुगतान नहीं होता और सारा खर्च किसानों को वहन करना पड़ता है। सरपंच को 3 हजार से 7 हजार तक की रिश्वत देनी पड़ती है।

– द हिन्दु, 6 सितम्बर, 2009

10. NREGA wages : 20 km away, 15 days late and only once a week (A story of Nathu Ram of village---)

टीकमगढ़ (म.प्र.)। '....कृष्णलाल, चलोन, तुलसी, धोना और खेटा से रामलाल बेहतर है जिनके पास जॉब कार्ड हैं फिर भी उन्हें काम की तलाश में दिल्ली पलायन करना पड़ा। पर नाथूराम, नरेगा की मजदूरी मिलने के बाद भी साहूकारों के कर्ज के कुचक्र को नहीं तोड़ सका।

देर से मजदूरी मिलने के कारण उसे 100 रूपये पर पांच रूपये प्रतिमाह ब्याज की दर से पैसा उठाना पड़ा। साहूकार के कर्ज के 400 रूपये देने के बाद उसके पास 40

रूपये बचेंगे, जिससे वह थोड़ा अनाज और सब्जी खरीदेगा.....

अटरिया से काकरगाह 6 किलोमीटर का पैदल रास्ता। काकरगाह से बड़ागांव 14 किलोमीटर 10 रूपये का बस का रास्ता। बड़ा गांव में सहकारी बैंक, जहां सप्ताह में एक दिन गुरूवार को नरेगा की मजदूरी मिलती है। ...2007 में कोई मजदूरी नहीं; 2008 में 7 दिन की; 2009 में 28 दिन की।''

– इन्डियन एक्सप्रेस, 9 सितम्बर, 2009

11. <u>अंगूठा लगाकर मिलेगी मजदूरी</u>

बायोमेट्रिक थंब डिवाइस सिस्टम से मिलेगा भुगतान

नरेगा में भुगतान की गई व्यवस्था

98 लाख बैंक खाते का दवाब कम करने की राह...

थंब डिवाइस का सबसे पहला प्रोजेक्ट देवास से शुरू हुआ था। देवास में यह दो स्थानों पर लगा था। इसके उत्साह जनक परिणाम आने के बाद ही इसे कुल पांच जिलों में विस्तार दिया गया। अब अन्य चार जिलों इन्दौर, उज्जैन, धार और शाजापुर में भी यह व्यवस्था की गई है।

– पत्रिका, 20 सितम्बर, 2009

12. <u>नरेगा मूल्यांकन के लिए बनेंगे दल</u>

भोपाल। ''.... पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कलेक्टरों और जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि कार्यों के मूल्यांकन के लिए अभियान चलाया जाये। अभियान की प्रगति की सप्ताहिक समीक्षा की जाये। इस कार्य में जो अधिकारी और कर्मचारी उदासीन रहेंगे उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

– पत्रिका, 29 सितम्बर, 2007

13. <u>केन्द को जांच पर एतबार नहीं।</u>

भोपाल। ... सेन्टर फॉर इन्वायरेनमेंट स्टडीज नामक संस्था ने 2007–2008 में राज्य के कई जिलों में नरेगा के काम काज का अध्ययन किया अैर पांच जिलों – धार, झाबुआ, टीकमगढ़, छतरपुर और शिवपुरी में गड़बड़ियों को उजागर करते हुए व्यवस्था पर सवाल उठाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य शासन ने सच्चाई का पता लगाने मौके पर जांच कराई। इसमें 101 गांव में पहली नजर में ही आक्षेप सही नहीं पाये गये। राज्य शासन ने तीन आई ए एस और आई एफ एस अफसरों के नेतृत्व में जांच दल बनाया था। इनकी सहायता के लिए 63 अधिकारियों की टीम अलग से गठित की गई थी। केन्द्र ने अब अपना दल भेजकर नरेगा की पड़ताल शुरू कर दी है।

– नवदुनिया, 30 सितम्बर, 2009

14. <u>नरेगा का सच बताएगा सर्वे</u>

<u>25 जिलों के 26 हजार ग्रामीणों से पूछी जायेगी हकीकत</u>

भोपाल। ... नरेगा के सच का खुलासा करने का बीड़ा मध्यप्रदेश में राज्य योजना आयोग ने उठाया है। इसके लिए आयोग 50 लाख से ज्यादा रूपये खर्च करके 25 जिलों के 26 हजार ग्रामीण परिवारों का लेखा–जोखा तैयार करने जा रहा है। आयोग ने अध्ययन को पांच माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

– नवदुनिया, 2 अक्टूबर, 2009

15. <u>नरेगा में गोलमाल पर शिकंजा</u>

<u>हर हाल में नियमों का पालन करें</u>

भोपाल। ... पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से सभी कलेक्टरों को कहा गया है कि वे नरेगा के तहत खरीदी में उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करें।

कार्यस्थल पर पीने के पानी के लिए मटका भी बिना जरूरत व औचित्य के नहीं खरीदा जाना चाहिए और इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी की अनुमति पहले ही ली जानी चाहिए।

– पत्रिका, 8 अक्टूबर, 2009

16. <u>Punitive NREGA Sec Used</u>

<u>Only Occasionlly</u>

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारान्टी कानून के परिच्छेद 25 के अन्तर्गत कानून का उल्लंघन करने वालों पर एक हजार रूपये तक के आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विधि विभाग से परामर्श मांगने पर कि क्या गैर न्यायिक अधिकारी ऐसा दण्ड लगा सकता है, हरी झंडी मिल गई है। पर नरेगा के तीन वर्ष बाद भी राज्य सरकार इस प्रावधान का उपयोग करने से बचती रही है।

वास्तव में कानून का उलंघन करने के बाद भी अब तक एक भी शासकीय व्यक्ति के खिलाफ आर्थिक दण्ड नहीं लगा है केवल इक्का – दुक्का गैर–शासकीय यथा शिवपुरी और बैतूल जिलों के कुछ सरपंचों के ऊपर दंड लगा है।

– हिन्दुस्तान टाइम्स , 20 अक्टूबर, 2009

17. <u>मस्टर क्लीन, नरेगा से छेड़छाड़</u>

<u>मंत्री, सांसद व विधायकों को मजदूर बनाने का मामला</u>

<u>अफसरों ने कहा वेबसाइट पर फर्जीवाड़ा</u>

खरगौन। ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित नरेगा पर न सिर्फ नेताओं को मजदूर बताया गया है। बल्कि शासकीय कर्मचारी, मीडियाकर्मी व मृतकों के नाम भी मजदूरी का भुगतान किया गया है। बड़वानी व खरगौन जिले की सात जनपदों के 24 गांव में फर्जीवाड़ा हुआ है। हालाकि अफसर इससे इन्कार कर रहे हैं।

– पत्रिका, 26 अक्टूबर 2009

सोशल वाच मध्यप्रदेश ने की सोशल ऑडिट की निगरानी

सोशल वाच मध्यप्रदेश ने प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकटतम जिले सिहोर में चल रहे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के सामाजिक अंकेक्षण (सोशल आडिट) में से पांच गांवों के सामाजिक अंकेक्षण का अवलोकन किया।

यह सामाजिक अंकक्षण भोपाल स्थित स्वैच्छिक संगठन समर्थन के सहयोग से <u>रोला मानपुर, महुड़िया, छापड़ीकला, कपूरी और देवली</u> गांवों में 18 से 27 अगस्त 2009 के मध्य बुलाई गई विशेष ग्राम सभा के माध्यम से किए गये।

<u>रोला मानपुरा</u> गांव में सामाजिक अंकेक्षण हेतु बुलाई गई विशेष ग्राम सभा को लेकर ग्राम वासियों और पंचायत पदाधिकारियों में कोई उत्सुकता या उत्साह नही था। लोग एकत्र तो हुए पर अधिकांश लोग चुप बैठे रहे। एक मात्र

आपत्ति एक प्रतिभागी द्वारा इस बात पर उठाई गई कि कार्यवाही रजिस्टर पर कार्यवाही होने से पहले ही उपस्थिति का अंगूठा क्यों लगवाया जा रहा है। 'समर्थन' के साथियों द्वारा ही लोगों से कहा गया कि वे पूछें कि कूप निर्माण में अलग–अलग राशी का आवंटन क्यों? सामग्री पर मजदूरी से अधिक खर्च क्यो? समय पर मजदूरी भुगतान क्यों नहीं? फिर भी लोगों ने प्रश्न नहीं पूछे। सरपंच ने अपनी तरफ से मजदूरी देर से मिलने का कारण इन्जीनियर द्वारा समय पर कार्य का आकलन नहीं किया जाना बताया। इस सामाजिक अंकेक्षण में 'समर्थन' द्वारा आमंत्रित विशेष अवलोकन कर्ता के रूप में सेवा निवृत्त आई ए एस अधिकारी सुश्री माला श्रीवास्तव उपस्थित थीं।

<u>महुड़िया ग्राम</u> सभा में एक भी महिला उपस्थित नहीं थी। उपस्थित पुरुषों के अनुसार 'उच्च' जाति होने के कारण उनमें पर्दा प्रथा है और महिलाएं सभाओं में नहीं आतीं। यद्यपि 'निर्मल नीर' कुएं का मुआयना करते जाते समय कुछ महिलाएं हैण्ड पम्प स्थल और रास्ते में घूंघट के बिना भी दिखीं। 1100 वोटरों वाले इस गांव में उपस्थिति काफी कम थी। कारण बताया गया कि लोग सोयाबीन की फसल में लगी इल्लियां बीनने के काम में लगे हैं। **इस ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया कि दलित मुहल्ले में बनी सीमेंट कंकरीट की सड़क एक साल के अन्दर ही क्यों टूट गई जबकि दूसरे मुहल्ले में उससे पुरानी बनी सड़क मजबूत है।** उत्तर दिया गया कि बरसात में सड़क के नीचे की मिटटी बैठ गई। पता लगा कि काम के समय निर्माण समिति ने कोई मुआयना ही नहीं किया था।

गांव के लोगों द्वारा ही अति गरीब माने जाने वाले दलित नाथूराम के पास बी.पी.एल. कार्ड ही नहीं था। अपनी अत्याधिक निराशा में वह 'कुछ नहीं होगा' कहता हुआ ग्राम सभा से उठकर चला गया। एक हितग्राही को कुंआ बंधाई का पैसा नहीं मिला था। उसे अपना कुंआ बैठ जाने का अन्देशा था।

नरेगा के अन्तर्गत निर्मित 'निर्मल नीर' कुंए में बरसात का हरा पानी भरा था। पीने का पानी लोग वहीं पास बने पुराने हैण्ड पम्प से ले रहे थे।

<u>कपूरी गांव</u> में नेरेगा के सामाजिक अंकेक्षण के लिए बुलाई गई विशेष ग्राम सभा में ग्राम पंचायत सचिव ने पूरा रिकार्ड व्यवस्थित रखा हुआ था। पूरी ग्राम सभा कोई शिकायत नहीं आई। परन्तु समय पर मजदूरी न मिलने की शिकायत तो थी। **कार्य का मूल्यांकन समय पर होने, जनपद पंचायत में समय पर हिसाब जमा करने के बाद भी पंचायत खाते में राशि 3 सप्ताह बाद पहुंची। दबे स्वर में यह भी मालुम चला कि कार्य का मूल्यांकन देर से ही हुआ था किन्तु इन्जीनियर ने मूल्यांकन तिथि पूर्व की डाल दी थी।** 100 दिन काम करने वाले परिवार के मुखिया का कहना था कि चूंकि उनके परिवार में अधिक सदस्य हैं, इसलिए उन्हें अधिक दिन काम करने के अवसर मिलने चाहिए।

<u>छापड़ी कला</u> के सामाजिक अंकेक्षण में एक ग्रामवासी ने देर से मजदूरी मिलने की शिकायत करते हुए गुस्से के स्वर में कहा कि **'कितने ही घर हैं जहां एक टाइम चूल्हा नहीं जलता'** यहां अधिकांश रहवासी दलित वर्ग के हैं। पंचायत सचिव किशेरावस्था की दहलीज अभी–अभी पार किया हुआ युवा था जिसने कोई भी रिकार्ड व्यवस्थित नहीं रखा था। **सबके जाब कार्ड खाली**

थे। ग्राम सभा में उपस्थित लोगों के अनुसार कइयों के जॉब कार्ड सचिव ने अपने पास रख लिये थे। **मस्टर रोल तैयार नहीं थे**। 56 दिन काम करने वाली सुशीला को मात्र एक हजार रूपये मिले थे। दूसरे व्यक्ति को 46 दिन पहले किये गये काम का भुगतान नहीं हुआ था जबकि उसके साथ ही काम करने वाले मजदूर को भुगतान हो गया था।

सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही का मुआयना करने आये जनपद पंचायत के दो अधिकारियों ने सचिव को कार्यस्थल पर ही मस्टर रोल भरनेकी समझाइश देने का दायित्व निभाया।

देवली में 27 अगस्त को आयोजित विशेष ग्राम सभा काफी उत्तेजनापूर्ण थी। पंचायत प्रतिनिधियों पर काम देने के मामले में भेदभाव करने का आरोप लगा; किसी परिवार को लगातार 20 दिन तक का काम दिया गया और किसी को मांगने पर भी काम नहीं मिला, प्याज सिंह के कुए पर घर के ही 7 सदस्यों ने काम किया।

जॉब कार्ड का दुरपयोग एक अहम मुददा था। एक के जॉब कार्ड के आधार पर दूसरे को मजदूरी देने का मसला उठा। **यह बात उठी कि एक हाथ से अपंग, साथ ही जाति से दलित व्यक्ति को क्या काम दिया जाये, क्योंकि उसके हाथ का पानी लोग नहीं पीते हैं।**

पंचायत सचिव का कहना था कि कार्यस्थल पर मजदूरों को पानी पिलाने वाले व्यक्ति की मजदूरी का अलग से प्रावधान नहीं है। **जिन 10 मजदूरों के लिए पानी पिलाने की व्यवस्था की जाती है उन्हीं की मजदूरी में से एक अंश काटकर पानी पिलाने वाले 11 वे मजदूर का भुगतान किया जाता है।**

सामाजिक अंकेक्षण से निकले सवालः

1. **कूप निर्माण में सामग्री और मजदूरी पर व्यय निर्देशानुसार 40 और 60 के अनुपात में क्यों नहीं हो रहा ?**

   पंचायतों द्वारा व्याख्या

   - कूप खनन में पत्थर आ जाने के कारण मजदूर जो काम करते हैं उसके काम की मात्रा कम आंकी जाती है। इससे मजदूरी भी कम हो जाती है।
   - खनन में ड्रिलिंग और ब्लास्ट पर हुए व्यय को सामग्री पर हुए व्यय में शामिल किया जाता है जिससे सामग्री पर व्यय का अनुपात बढ़ जाता है।
   - सामग्री और मजदूरी पर 40 और 60 के व्यय के अनुपात के निर्देश प्रत्येक कार्य पर नहीं अपितु जनपद परिक्षेत्र पर लागू होते हैं। कुछ कच्चे काम लेकर इस अनुपात को सन्तुलित किया जा सकता है।

2. **मजदूरी समय पर क्यों नहीं मिल पा रही ?**
   - पंचायत सचिवों द्वारा मस्टर रोल एवं अन्य रिकार्ड व्यवस्थित नहीं रखे जाते।
   - पंचायत सचिव द्वारा एक ही समय पर काम करने वाले दो लोगों के बीच भुगतान में भेदभाव किया जाता है।

3. **नरेगा के अन्तर्गत 'कपिल धारा' और 'निर्मल नीर' नाम से बन रहे कूप क्या दीर्घकाल में हितग्राहियों और गांव के लिए सार्वजनिक स्थाई सम्पत्ति का काम करेंगे ?**
   - निर्मल नीर कूप का पानी पीने योग्य है ही नहीं, उसकी गहराई इतनी कम है

कि उसमें प्राकृतिक झरना नहीं फूटता।

- कपिल धारा कूपों में भी बरसात का पानी ही एकत्र हुआ है जो संभवतः रबी की फसल में आरंभिक सिंचाई के काम आ सके।
- यदि कूप निर्माण हेतु स्वीकृत राशी की किश्त समय पर जारी न हो तो कूंए में बंधान नहीं हो पाती और कुंआ धंस सकता है।

4. जब मजदूरी की घोषणा दिहाड़ी के आधार पर हुई है तो मजदूरी कार्य के अुनसार क्यों दी जाती है? पानी पिलाने वाले के लिए अलग से मजदूरी का प्रावधान क्यों नहीं है?

सरकारी आंकड़ों में नरेगा

(5 नवम्बर 09 के अनुसार)

- 100 दिन तक काम पाने मध्यप्रदेश में 14 हजार 367 परिवार हैं। इसमें से सर्वाधिक 2463 खरगौन जिले में हैं। उसके बाद धार जिले में 1350 परिवारों ने 100 दिन काम किया। वहीं नीमच जिले में केवल एक परिवार और मुरैना में 9 परिवारों ने 100 दिन काम किया। भिंड में किसी परिवार को 100 दिन का काम नहीं मिला।
- यद्यपि काम की अधिकतम सीमा नियमानुसार 100 दिन रखी गई फिर भी 100 दिन से अधिक दिन काम करने वाले परिवार भी हैं। आंकड़े कहते हैं कि 17198 परिवारों ने 100 दिन से अधिक काम किया। 100 दिन और 100 से अधिक दिन के आंकड़े विरोधाभासी हैं। गुना में 100 दिन काम करने वाले परिवारों की संख्या 689 है पर 100 से अधिक काम करने वाले परिवार 1084 हैं। रतलाम में 100 दिन की तालिका में 303 परिवार हैं और 100 से अधिक दिन काम करने वालों में 1268 परिवार है। आंकड़ों का पुर्निरक्षण जरूरी है।
- आंकड़े बताते हैं कि नरेगा में 68 अजार 62 पंजीकृत अपंग व्यक्तियों में से 12 हजार 72 लोगों ने कुल एक लाख 39 हजार 92 दिन कार्य किया। इसमें से महिलायें कितनी हैं, यह आंकड़ों में कहीं नहीं दिया गया।

  सर्वाधिक पंजीकृत अपंग अदिवासी जिलों छिन्दवाड़ा (52008), डिन्डोरी (6279), मंडला (2468) मे हैं। इसमें से छिन्दवाड़ा में 9380 व्यक्तियों ने कुल एक लाख 3 हजार 94 दिन कार्य किया। भिंड, सिहोर, उज्जैन, नीमच, इन्दौर, भोपाल और हरदा जिलों में 10 से कम अपंग व्यक्तियों ने नरेगा कार्य के लिए अपना पंजीयन कराया। संभवतः जागरूकता की कमी के कारण यह स्थिति है। 21 जिलों में 10 व्यक्तियों से कम को काम मिला है। चार जिलों सिहोर, शाजापुर, नीमच और दतिया में किसी अपंग को काम नहीं मिला।
- वित्त वर्ष 2009–10 में 14 लाख 90 हजार 183 स्त्रियों ने एक करोड़ 82 लाख 45 हजार 408 दिन कार्य किया जबकि 20 लाख 41 हजार 327 पुरूषों ने दो करोड़ 66 लाख 35 हजार 94 दिन का किया।
- वित्त वर्ष 2009–10 में नवम्बर माह तक कुल एक करोड़ 7 लाख 63 हजार 537 परिवारों ने नरेगा में अपना पंजीयन कराया;

इसमें से एक करोड़ 7 लाख 8 हजार 626 परिवारों को जाब कार्ड जारी किये गये। काम मांगा 17 लाख 36 हजार 399 परिवारों ने और काम मिला 17 लाख 31 हजार 988 परिवारों को।

- बैतूल, डिन्डोरी, खरगौन, छिन्दवाड़ा, कटनी और रायसेन जिलों में काम मांगने वाले परिवारों और व्यक्तियों की तुलना में अधिक संख्या में लोगों को काम दिया गया। बैतूल में यह अन्तर 875 व्यक्तियों का है।
- सीधी जिले में सर्वाधिक परिवारों के पास जाब कार्ड है पर केवल 40 प्रतिशत लोगों ने ही काम की मांग की।

छत्तीसगढ़ में नरेगा

- छत्तीसगढ़ में अपंगों को नरेगा के अन्तर्गत सर्वाधिक काम दिया गया। (दूसरा प्रदेश पश्चिम बंगाल है) आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009–10 में 13 हजार 763 अपंग व्यक्ति काम पा चुके हैं।
- अति वामपंथ से प्रभावित, देश के 33 जिलों, जिनमें छत्तीसगढ़ के जिले भी सम्मिलित हैं केवल 3.2 प्रतिशत लोगों ने 100 दिन काम किया।

  – हिन्दु, 3 नवम्बर 2009
- कैग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006–2007 में छत्तीसगढ़ में औसत काम के दिन 41 थे जो 2007–08 में घटकर के 35 हो गये।
- सरकारी वैबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 6 नवम्बर 2009 को पूरे प्रदेश में 1683 पंचायतों से काम की मांग नहीं की गई और 4906 पंचायत क्षेत्रों में नरेगा के अन्तर्गत काम उपलब्ध नहीं था। अर्थात गरीब माने जाने वाले प्रदेश के 6589 पंचायत क्षेत्र के लोग उस दिन अपनी जीविका पर सरकारी सहयोग से परे थे।

  कुछ विकास खण्डों में काम की अनुपलब्धता वाले पंचायत क्षेत्रों की संख्या 80 से ऊपर है। रायपुर जिले के अरंग विकास खण्ड में 122 पंचायत क्षेत्रों और महासमुन्द के पिथौरा विकास खण्ड के 107 पंचायत क्षेत्रों में काम नहीं था। दुर्ग के पाटन विकास खण्ड, रायपुर के निकदा, बिलाईगढ़ और अमनपुर; सुरगुजा जिले के सूरजपुर; महासमुन्द के बासना विकास खण्ड; कोरबा के पौड़ी उपरेदा; रायगढ़ के सारंगगढ़ ओर कवर्धा के पन्डरिया विकासखण्डों में 6 नवम्बर को 50 से 90 तक पंचायत क्षेत्रों में काम उपलब्ध नहीं था।
- 2009–10 में 6 नवम्बर तक कुल 22 हजार 120 जाब कार्डधारी 100 दिन तक काम कर चुके थे। इसमें रायपुर, राजनांदगांव और कवर्धा जिलों के 3 हजार से ऊपर कार्डधारी हैं।

सोशल आडिट का एक प्रसंग

स्थाई पात्र

1. मोचा पंचायत के सारे रहवासी
2. सरपंच
3. पंचायत सचिव
4. जिलाधीश
5. जिला मुख्य पंचायत अधिकारी
6. जिला सहायक परियोजनाधिकारी
7. जनपद अधिकारी

अस्थाई पात्र

1. स्वैच्छिक संगठन 'छत्तीसगढ़ सिटीजन इनिशिएटिव, रायपुर' के कार्यकर्ता,
2. 'ट्रान्सपिरेन्सी इन्टरनेशनल, नई दिल्ली' के प्रतिनिधि

दृश्य : एक

पंचायत – मोचा
ब्लाक – तख्तपुर
जिला – बिलासपुर

कथानक : स्वैच्छिक संगठन के कार्यकर्ता सरपंच और सचिव से मिलकर सोशल आडिट करवाने में भागीदारी की इच्छा प्रकट करते हैं और नरेगा के अन्तर्गत हुए कार्य के दस्तावेज दिखाने का आग्रह करते हैं। सरपंच और सचिव अपनी अनिच्छा दिखाते हैं।

दृश्य : दो

जिलाधीश कार्यालय, बिलासपुर
टेबिल पर 21 जुलाई 2009 का कलेन्डर

कथानक : स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि जिलाधीश से मोचा पंचायत में नरेगा सोशल आडिट में भागीदारी हेतु दस्तावेजों की जरूरत बताते हैं। जिलाधीश उत्साहित होते हैं और तुरन्त जिला पंचायत अधिकारी को बुलाकर सहयोग देने का निर्देश देते हैं।

दृश्य : तीन

जिला पंचायत अधिकारी का कक्ष

कथानक : जिला पंचायत अधिकारी सहायक परियोजना अधिकारी से स्वैच्छिक संगठन के कार्यकर्ताओं से मिलवाते है, और उन्हें सोशल आडिट के लिए दस्तावेज देने और मदद करने के निर्देश देते हैं।

दृश्य : चार

सहायक परियोजना अधिकारी का कक्ष; टेबिल पर रखे कलेन्डर की तिथि क्रमशः

22 जुलाई 23 जुलाई
24 जुलाई 25 जुलाई

कथानक : कार्यकर्ता लगातार चार दिन तक सहायक परियोजना अधिकारी के कार्यालय में आते हैं; प्रतीक्षा करते हैं; अधिकारी अत्यन्त व्यस्त हैं; हर दिन अगले दिन आने को कहते हैं; तीसरे दिन वे कहते हैं कि मांगी गई जानकारी और दस्तावेजों की मात्रा बहुत अधिक है इसलिए यह केवल सूचना के अधिकार के अन्तर्गत ही दी जा सकती है। वे सूचना के अधिकार का आवेदन पत्र देने को कहते हैं। आवेदन लाने पर वे कहते हैं कि आवेदन तख्तपुर जनपद में देना होगा क्योंकि मामला उस जनपद का है।

दृश्य : पांच

जनपद पंचायत तख्तपुर का कार्यालय
तिथि 27 जुलाई

कथानक : स्वैच्छिक संगठन के कार्यकर्ता साढ़े तीन घण्टे प्रतीक्षा करने के बाद व्यस्त अधिकारी से मिलकर मोचा पंचायत में नरेगा के कार्यों के दस्तावेज मांगते हैं। अधिकारी कहते हैं कि उन्हें ऊपर से कोई निर्देश नहीं हैं अतः वे दस्तावेज नहीं दे सकते हैं। वे मोचा पंचायत में सोशल आडिट की तिथि 12 अथवा 13 अगस्त बताते हैं।

दृश्य : छः

मोचा पंचायत का पूरा परिक्षेत्र

- स्वैच्छिक संगठन के कार्यकर्ता घर–घर जाकर नरेगा कार्य की जानकारी एकत्र करते हैं; आपत्तियों की सूची बनाते हैं; निराकरण के लिए ग्राम सभा में आने को कहते हैं।

- सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक परस्पर परामर्श करते हैं और अपने पास रखे 300 जॉब कार्ड घर–घर जाकर बांटते हैं।
- गांव में जगह–जगह लोग समूह बनाकर नरेगा की चर्चा करते हैं।
- एक आगन्तुक सूचना लाता है कि सोशल आडिट 7 अगस्त को होगा।
- स्वैच्छिक संगठन के कार्यकर्ता रैली निकालकर, नुक्कड़ नाटक कर, फिल्म दिखाकर लोगों को ग्राम सभा में आने को कहते हैं।

दृश्य : सात
मोचा पंचायत भवन के सामने का परिसर 6 एवं 7 अगस्त

कथानक : सोशल आडिट का शासकीय प्रभारी दल 6 अगस्त दोपहर को पंहुचता है। उनके पास दस्तावेजों का बस्ता है। दस्तावेजों के सत्यापन का समय नही है।

7 अगस्त दोपहर 2 बजे लगभग 500 लोग मैदान में एकत्र; कुछ पत्रकार और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि अवलोकनकर्ता के रूप में। शासकीय प्रभारी दल बस्ता खोलता है।

दृश्य : आठ
सोशल आडिट की कार्यवाही

कथानक : चरमोत्कर्ष

- 12 लाख की लागत से बनाया गया तालाब है ही नहीं। वर्णित जमीन पर सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक फसल ले रहे हैं।
- लोग सारे मस्टर रोल पढ़ने को कहते हैं।
- 10 लोगों ने कहा वे मजदूरी पर गये ही नही, पर उनका नाम मस्टर रोल में हैं।
- कुछ ने मजदूरी का कम पैसा मिलने की बात की।
- रोजगार सहायक ने 6 लोगों से 10 रूपये से 100 रूपये तक की घूस की मांग की।
- जाब कार्ड के लिए 25 रूपये देने पड़े।
- जाब कार्ड पर फोटो नहीं।
- इन्जीनियर ने किए काम का मापन मजदूरों के सामने नहीं किया।
- मांगने पर काम नही मिला।
- काम खत्म होने पर निगरानी समिति के हस्ताक्षर नहीं लिए गये।
- विल–वाउचर से छेड़–छाड़ की गई।
- रोजगार के लिए पंजीकृत 433 परिवार, परन्तु खाता 530 का ।

इस तरह प्रशासन से सहयोग नहीं मिलने पर भी सोशल आडिट की कार्यवाही सफलता पूर्वक वैकल्पिक तरीके से की गई। लोगों ने मांग की

- कड़ी जांच करके दोषियों को सजा मिले।
- सिंचाई के लिए नहर बनाई जाये।
- मोचा से लाखसार तक सड़क बने।
- मोचा में बच्चों के लिए खेल का मैदान बने।
- सार्वजनिक शमशान भूमि हो।
- सतनामी तलाब में निर्मल घाट हो।

(छत्तीसगढ़ सिटिजन इनिशियेटिव रायपुर और ट्रान्सपिरेन्सी इन्टरजोनल, नई दिल्ली द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर)

आप भी इस सोशल वाच के हिस्से हैं

समाजिक निगरानी एक जन प्रक्रिया है। यह लोगों की सक्रिय और स्वैच्छिक भागीदारी से ही सफल हो सकती है। यह तभी सफल हो सकता है जब हम लोग अपने आपको लोकतंत्र में केवल एक मतदाता की तरह नही अपितु लोकतंत्र के जिम्मेदार सरोकारी के रूप में समझें और अपने सरोकार को एक बड़े मंच के माध्यम से तथ्यात्मक प्रश्न पूछकर प्रकट करें।

सामाजिक निगरानी मंच

आप अपने जिले में सोशल वाच (सामाजिक निगरानी) मंच बना सकते हैं और अभिशासन तथा विकास से जुड़े मुददों पर समय-समय पर औपचारिक संवाद और चर्चा करते हुए मीडिया अथवा मंच के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर उन्हें उठा सकते हैं।

यह गैर राजनैतिक मंच जागरूक नागरिकों, उच्च शिक्षण संस्थाओं के प्राध्यापकों, छात्रों, वकीलों स्वैच्छिक संगठनों, लेखकों और मीडिया कर्मियों द्वारा बनाया जा सकता है।

सोशल वाच का मूल उददेश्य यह होना चाहिए कि शासन, प्रशासन और न्यायपालिका द्वारा किये जा रहे कार्यों, लिये गये निर्णयों पर सतत निगरानी रहे और विसंगतियों को व्यस्थित तरीके से सूचीबद्ध कर उसे अधिक लोगों तक ले जायें।

जिला मंचों की सक्रियता के आधार पर हम कुछ जिला प्रतिवेदन भी तैयार कर सकते हैं।

अगामी महीनों में 'सामाजिक निगरानी' के अन्तर्गत लोकतंत्र की आधारभूत इकाई ग्राम सभा के प्रतिवेदन तैयार करने को प्रमुखता दी जानी है। ग्राम सभा में लिए गये निर्णय और किये गये कार्य; गरीबों, दलितों, आदिवासियों, निःशक्तजनों और महिलाओं की भागीदारी और उनके प्रति पंचायत पदाधिकारियों और दबंगों की संवेदनशीलता या संवेदन हीनता का अवलोकनात्मक अध्ययन करने की योजना है। यह अध्ययन एक जागरूक नागरिक और शोधकर्ता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

यदि आप अपने जिले में सबसे पिछड़े माने जाने वाले किसी विकास खण्ड की कुछ ग्राम सभाओं का अवलोकन कर उस पर तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसे हम इस संवाद पत्र में प्रकाशित कर सकते हैं। प्रत्येक जिले के 'सामाजिक निगरानी' मंच को हम मध्यप्रदेश/ छत्तीसगढ़ 'सामाजिक निगरानी' का एक हिस्सा मानते हुए शासन और प्रशासन को यह सन्देश देंगे कि प्रदेश के नागरिक जागरूक और सतर्क हैं।

आपके जिले में सामाजिक निगरानी मंच बनाने के लिए आपका आहवान है। हम एक प्रपत्र संलग्न कर रहे हैं आप इस प्रपत्र को भरकर डाक द्वारा या ई-मेल द्वारा भेज सकते हैं।

सम्पर्क पता :

सोशल वाच मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़

द्वारा : समर्थन, सेन्टर फॉर डेवलमेंट सपोर्ट,

36 ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल-462016

ई-मेल : nigraneempc@gmail.com

सोशल वाच का राष्ट्रीय कार्यालय :

National Social Watch Coalition
N-13 A, Second Floor, Green Park Extension
New Delhi-110016, India
Tel./Fax: +91-11-41644576
E-mail: info@socialwatchindia.net
Web: www.socialwatchindia.net